संख्याः– 1562 /I/2004-6(1)/4/2004

प्रेषकः–

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनाकः २१ मार्च, 2005

विषयः– उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ए0पी0डी0आर0पी0 कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आय–व्यय विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 44(1)PFI/2004-281 दिनांक 22.03.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में आयोजनागत पक्ष में ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत पारेषण एवं वितरण हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को अनुदान के रुप में रू0 54.00 करोड़ (रू0 चौव्वन करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2002–2003 में भारत सरकार से ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओ के विरुद्व ही व्यय किया जायेगा एवं तत्संबंधी योजनाओं की सूची शासन को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।

2– योजनाओं के संबध में वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन, वित्त विभाग, महालेखाकार एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नियत प्रारूप मे ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं शासन को ससमय प्रेषित किया जायेगा ।

3– आवश्यक सामग्री का भुगतान संबंधित फर्म से प्राप्त सामग्री की जॉच के उपरान्त किया जायेगा तथा सामग्री की गुणवत्ता के लिये किसी सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जाये जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

4– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय और व्यय उन्हीं मदों/योजनाओ पर किया जाये जिनके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

5– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 अधिकारी, जिसके अधीन यह कार्य हो रहा है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार से तत्विषयक दिशा–निर्देशो के अनुसार ही व्यय किया जायेगा ।

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका मितव्ययता के विषय में समय–समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जाये ।

.....2

8– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा। कोषागार द्वारा यह धनराशि निगम के पी0एल0ए0 खाते में जमा किया जायेगा जहां से निगम आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर सकेगा।

9– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं ।

10– स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान सं0 21 के लेखाशीर्षक–2801–बिजली–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–01–ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत सहायता–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 2003/वि0अनु0–3/2004, दिनांक 29 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः–1562 /1/2004-6(1)/4/2004, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
2– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
3– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान मे लाने हेतु।
4– जिलाधिकारी, देहरादून ।
5– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
8– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव